2050
सं0— /33-3-2013-100(13)/2010

प्रेषक,

भरत लाल राय
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज,अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक-22 जुलाई, 2013

विषयः—13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में सामान्य बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त की धनराशि पंचायती राज संस्थाओं को अन्तरित किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 के पत्र संख्या-5/शा0/492/2013-5/84/2013 दिनांक 19 जुलाई 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु वर्ष 2013-14 की सामान्य बुनियादी अनुदान के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 1464000.00 लाख में से प्रथम किश्त की धनराशि रू0-रू0 76472.54 लाख ( रू0 सात अरब चौसठ करोड बहत्तर लाख चौवन हजार मात्र) को संलग्न विवरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(धनराशि लाख रूपये में)

| पंचायती राज संस्था का नाम | मात्राकृत/आवंटित कुल धनराशि |
|---|---|
| 1-ग्राम पंचायतों हेतु अनुदान | 53530.77800 |
| 2-क्षेत्र पंचायतों हेतु अनुदान | 7647.25400 |
| 3-जिला पंचायतों हेतु अनुदान | 15294.50800 |
| योग— | 76472.54 |

(रू0 सात अरब चौसठ करोड बहत्तर लाख चौवन हजार मात्र)

2— उक्त आवंटित धनराशि उपलब्ध आय-व्ययक प्राविधान एवं ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत के निर्धारित अनुपातिक व्यवस्था (70 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत) के अन्तर्गत है। आवंटित धनराशि तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों तथा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/सुसंगत शासनादेशों के अनुसार व्यय की जाएगी।

3— उपर्युक्तानुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को आवंटित की जा रही धनराशि/अनुदान का व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में नियमानुसार मार्ग-निर्देशिका के अनुसार एवं शासनादेश संख्या-2566/33-3-2010-142/2010, दिनांक 23.12.2010 द्वारा निर्गत विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांतों/बिन्दुओं के अनुसार किया जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व यथास्थिति संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी का होगा।

4— उक्त स्वीकृति धनराशि निदेशक, पंचायती राज द्वारा आहरित कर तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत उपर्युक्तानुसार आवंटित धनराशि के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशिका के अनुसार 05 दिन के अन्दर पंचायतों के खातों में हस्तांतरित की जानी है। धनराशि समय से पंचायतों के खातों में हस्तांतरित न होने पर संबंधित अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे तथा बिलम्ब से धनराशि हस्तांतरण के फलस्वरूप देय ब्याज की अदायगी संबंधित अधिकारी/बैंक द्वारा करायी जायेगी एवं इस संबंध में शासनादेश

संख्या–2542/33–3–10–100(42)/10, दिनांक 27.01.2011 में दिये गये विस्तृत दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष, 2013–2014 के अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक–2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–03 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान–0301–सामान्य बुनियादी अनुदान–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) के मद में धनराशि रू0 53530.77800लाख (रूपया पांच अरब पैंतीस करोड़ तीस लाख सतहत्तर हजार आठ सौ मात्र), लेखाशीर्षक–2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–197–ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों की सहायता–03 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान–0301–सामान्य बुनियादी अनुदान–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के मद में धनराशि रू0 7647.25400लाख (रूपया छिहत्तर करोड़ सैंतालिस लाख पच्चीस हजार चार सौ मात्र) तथा लेखाशीर्षक–2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–196–जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता–03 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान–0301–सामान्य बुनियादी अनुदान–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के मद में धनराशि रू0 15294.50800लाख (रूपया एक अरब बावन करोड़ चौरान्बे लाख पचास हजार आठ सौ मात्र) के नामे डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–2–663/दस–13, दिनांक 22 जुलाई , 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

( भरत लाल राय )
विशेष सचिव।

संख्याः /33–3–2013, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2–सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3–सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4–सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5–मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6–संबंधित बैंकों को।
7–निदेशक, पंचायती राज, लेखा, उ0प्र0।
8–उप निदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0, लखनऊ।
9–वित्त, व्यय–नियंत्रण, अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक), अनुभाग–2
10–वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
11–वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
12–समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें/समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
13–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( राम नगीना मौर्य )
अनु सचिव।

शासनादेश सं० 2050/33-3-2013-100(13)/2010 दिनांक 22 जुलाई, 2013 का संलग्नक (1)

पंचायतीराज विभाग, उ०प्र०

**13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों हेतु वर्ष 2013–14 में सामान्य बुनियादी अनुदान राशि की प्रथम किश्त की धनराशि को अवमुक्त करने हेतु प्रस्तावित धनराशि का विवरण–**

(धनराशि रूपये में)

| क. सं. | जनपद | ग्राम पंचायतों हेतु अनुदान | क्षेत्र पंचायतों हेतु अनुदान | जिला पंचायतों हेतु अनुदान | योग (3+4+5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | मेरठ | 62631010 | 8947287 | 17894574 | 89472871 |
| 2 | बागपत | 36400929 | 5200133 | 10400265 | 52001327 |
| 3 | गाजियाबाद | 56742625 | 8106089 | 16212178 | 81060892 |
| 4 | गौतमबुद्धनगर | 23553542 | 3364792 | 6729584 | 33647918 |
| 5 | बुलन्दशहर | 81902090 | 11700299 | 23400597 | 117002986 |
| 6 | सहारनपुर | 89396399 | 12770914 | 25541828 | 127709141 |
| 7 | मुजफ्फरनगर | 107061556 | 15294508 | 30589016 | 152945080 |
| 8 | आगरा | 77619628 | 11088518 | 22177037 | 110885183 |
| 9 | अलीगढ़ | 81366783 | 11623826 | 23247652 | 116238261 |
| 10 | हाथरस | 42289315 | 6041331 | 12082661 | 60413307 |
| 11 | एटा | 54066086 | 7723727 | 15447453 | 77237266 |
| 12 | कासगंज | 41218699 | 5888386 | 11776771 | 58883856 |
| 13 | मैनपुरी | 50854239 | 7264891 | 14529783 | 72648913 |
| 14 | मथुरा | 54601394 | 7800199 | 15600398 | 78001991 |
| 15 | फिरोजाबाद | 53530778 | 7647254 | 15294508 | 76472540 |
| 16 | बरेली | 94214169 | 13459167 | 26918334 | 134591670 |
| 17 | बदायू | 97426016 | 13918002 | 27836005 | 139180023 |
| 18 | पीलीभीत | 51389547 | 7341364 | 14682728 | 73413639 |
| 19 | शाहजहापुर | 77619628 | 11088518 | 22177037 | 110885183 |
| 20 | मुरादाबाद | 102243786 | 14606255 | 29212510 | 146062551 |
| 21 | अमरोहा | 43895238 | 6270748 | 12541497 | 62707483 |
| 22 | रामपुर | 52995470 | 7570781 | 15141563 | 75707814 |
| 23 | बिजनौर | 96355400 | 13765057 | 27530114 | 137650571 |
| 24 | लखनऊ | 50854239 | 7264891 | 14529783 | 72648913 |
| 25 | रायबरेली | 79225551 | 11317936 | 22635872 | 113179359 |
| 26 | अमेठी | 76013705 | 10859101 | 21718201 | 108591007 |
| 27 | हरदोई | 129009175 | 18429882 | 36859764 | 184298821 |
| 28 | उन्नाव | 92608246 | 13229749 | 26459499 | 132297494 |
| 29 | सीतापुर | 146674332 | 20953476 | 41906952 | 209534760 |
| 30 | खीरी | 117767712 | 16823959 | 33647918 | 168239589 |
| 31 | फैजाबाद | 80831475 | 11547354 | 23094707 | 115473536 |
| 32 | अम्बेडकर नगर | 72266550 | 10323793 | 20647586 | 103237929 |
| 33 | सुल्तानपुर | 73337166 | 10476738 | 20953476 | 104767380 |
| 34 | बाराबंकी | 87790476 | 12541497 | 25082993 | 125414966 |
| 35 | गोण्डा | 100102555 | 14300365 | 28600730 | 143003650 |
| 36 | बलरामपुर | 62095702 | 8870815 | 17741629 | 88708146 |

19/7/13

19-7-13

शासनादेश सं० 2050/33-3-2013-100(13)/2010 दिनांक 22 जुलाई, [illegible] का संलग्नक

(2)

| क. सं. | जनपद | ग्राम पंचायतों हेतु अनुदान | क्षेत्र पंचायतों हेतु अनुदान | जिला पंचायतों हेतु अनुदान | योग (3+4+5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | बहराइच | 94749477 | 13535640 | 27071279 | 135356396 |
| 38 | श्रावस्ती | 51389547 | 7341364 | 14682728 | 73413639 |
| 39 | इलाहाबाद | 149350871 | 21335839 | 42671677 | 213358387 |
| 40 | कौशाम्बी | 56742625 | 8106089 | 16212178 | 81060892 |
| 41 | फतेहपुर | 86719860 | 12388551 | 24777103 | 123885514 |
| 42 | प्रतापगढ़ | 105990940 | 15141563 | 30283126 | 151415629 |
| 43 | वाराणसी | 67984088 | 9712013 | 19424025 | 97120126 |
| 44 | चन्दौली | 62631010 | 8947287 | 17894574 | 89472871 |
| 45 | गाजीपुर | 115091173 | 16441596 | 32883192 | 164415961 |
| 46 | जौनपुर | 143997793 | 20571113 | 41142227 | 205711133 |
| 47 | मिर्जापुर | 84578629 | 12082661 | 24165323 | 120826613 |
| 48 | सोनभद्र | 70660627 | 10094375 | 20188751 | 100943753 |
| 49 | संतरविदासनगर (भदोही) | 46036469 | 6576638 | 13153277 | 65766384 |
| 50 | हमीरपुर | 38006852 | 5429550 | 10859101 | 54295503 |
| 51 | बांदा | 56207317 | 8029617 | 16059233 | 80296167 |
| 52 | चित्रकूट | 38006852 | 5429550 | 10859101 | 54295503 |
| 53 | महोबा | 25694773 | 3670682 | 7341364 | 36706819 |
| 54 | गोरखपुर | 115626480 | 16518069 | 33036137 | 165180686 |
| 55 | महाराज गंज | 87255168 | 12465024 | 24930048 | 124650240 |
| 56 | देवरिया | 99031939 | 14147420 | 28294840 | 141474199 |
| 57 | कुशीनगर | 111879326 | 15982761 | 31965522 | 159827609 |
| 58 | बस्ती | 75478397 | 10782628 | 21565256 | 107826281 |
| 59 | सन्त कबीर नगर | 55136701 | 7876672 | 15753343 | 78766716 |
| 60 | सिद्धार्थ नगर | 88325784 | 12617969 | 25235938 | 126179691 |
| 61 | आजमगढ़ | 152562717 | 21794674 | 43589348 | 217946739 |
| 62 | मऊ | 62095702 | 8870815 | 17741629 | 88708146 |
| 63 | बलिया | 102243786 | 14606255 | 29212510 | 146062551 |
| 64 | कानपुर नगर | 51924855 | 7417836 | 14835673 | 74178364 |
| 65 | कानपुर देहात | 55136701 | 7876672 | 15753343 | 78766716 |
| 66 | फर्रूखाबाद | 45501161 | 6500166 | 13000332 | 65001659 |
| 67 | कन्नौज | 44965854 | 6423693 | 12847387 | 64236934 |
| 68 | इटावा | 42824626 | 6117803 | 12235606 | 61178035 |
| 69 | औरैया | 43359930 | 6194276 | 12388551 | 61942757 |
| 70 | झांसी | 43359930 | 6194276 | 12388551 | 61942757 |
| 71 | ललितपुर | 35865621 | 5123660 | 10247320 | 51236601 |
| 72 | जालौन | 48713008 | 6959001 | 13918004 | 69590013 |
| | कुल योग– | 5353077800 | 764725400 | 1529450800 | 7647254000 |

19/7/13
(आर. डी. सिंह)
उप निदेशक (पं०)
पंचायती राज उ० प्र०

19.07.2013
(सुधन चन्द्र चन्दोला)
संयुक्त निदेशक (पंचा०)
पंचायती राज विभाग उ० प्र०
लखनऊ